संख्या-14/2017/1157/62-1-2017-43जीडब्लू/2017

प्रेषक,

मोनिका एस0 गर्ग,
प्रमुख सचिव,
लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,
लघु सिंचाई विभाग/नगर विकास विभाग/ग्राम्य विकास विभाग/वन विभाग/कृषि विभाग/परती भूमि विकास/सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग/उद्यान विभाग/ गन्ना विभाग तथा आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक : 24 अगस्त, 2017

विषयः राज्य 'भूजल संरक्षण मिशन' के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि मा0 मंत्रि-परिषद द्वारा दिनांक 17-08-2017 को ''राज्य भूजल संरक्षण मिशन'' की नवीन योजना को अनुमोदन प्रदान किया गया है। मिशन का 'कान्सेप्ट नोट' संलग्न किया जा रहा है। मिशन के अन्तर्गत प्रदेश के संकटग्रस्त विकास खण्डों एवम् शहरी क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन एवम् भूजल रिचार्ज की उपयुक्त विधियों की संरचना करते हुए भूजल संसाधनों की उपलब्धता में प्रभावकारी सीमा तक वृद्वि किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मिशन के क्रियान्वयन हेतु प्रदेश के समस्याग्रस्त कुल 271 विकासखण्डों एवं 22 शहरों का चयन किया गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में इस मिशन के अन्तर्गत बुन्देलखण्ड क्षेत्र के 15 विकासखण्डों, पूर्वी क्षेत्र के कुल 07 विकासखण्डों तथा पश्चिमी क्षेत्र के कुल 03 विकासखण्डों अर्थात कुल 25 विकासखण्डों को मिशन के कार्यो हेतु चयनित किया गया है।

मिशन के अन्तर्गत उपरोक्तानुसार चयनित विकासखण्डों में वाटरशेड सिद्धान्त के आधार पर रिचार्ज हेतु मास्टर प्लान तैयार किया गया है। भूगर्भ जल विभाग द्वारा सम्बन्धित विकासखण्डों की माडल डी0पी0आर0 उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें रिचार्ज हेतु सम्बन्धित संरचनाओं का सुझाव दिया गया है। उपलब्ध करायी गयी माडल डी0पी0आर0 पर सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित तकनीकी समन्वय समिति (टी0सी0सी0) में गहन चर्चा की जाएगी, जिसके उपरान्त विभागवार विस्तृत मिशन कार्ययोजना तैयार की जाएगी। मिशन कार्ययोजना में प्रस्तावित विभागवार गतिविधियों का क्रियान्वयन निम्नानुसार किया जायेगाः-

मिशन कार्ययोजना के माइलस्टोन, टाइम-लाइन एवं विभिन्न योजनाओं का कन्वर्जेन्सः मिशन के अन्तर्गत उपरोक्तानुसार तैयार की गयी कार्ययोजना/माइक्रो प्लान्स में विभिन्न कार्यों/

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

गतिविधियों के क्रियान्वयन एवं संचालन हेतु सम्बन्धित विभागों को चिन्हित किया जायेगा और सम्बन्धित विभागों के कन्वर्जेन्स को कार्ययोजना के डाक्यूमेन्ट में रेखांकित किया जायेगा। टी0सी0सी0 (जनपद स्तरीय तकनीकी समन्वय समिति) एकीकृत कार्ययोजना तैयार करने एवं उसका क्रियान्वयन समयबद्ध ढंग से सुनिश्चित कराये जाने हेतु माइलस्टोन्स एवं योजनाओं के कन्वर्जेन्स के तौर-तरीके/माडलिटीज (Modalities) का निर्धारण करेगी।

i. कार्ययोजना के अन्तर्गत सम्मिलित माइक्रो प्लान्स के क्रियान्वयन हेतु सम्बन्धित डाक्यूमेन्ट में कार्यवार एवं विभागवार माइलस्टोन एवं टाइम-लाइन का समावेश किया जायेगा, जिससे कि माइक्रो प्लान्स (डी0पी0आर0) को समयबद्ध ढंग से क्रियान्वित कराया जा सके और उससे प्राप्त होने वाले परिणामों का भी आकलन हो सके।

ii. कार्ययोजना अवधिः मिशन के अन्तर्गत प्रत्येक विकासखण्ड की कार्ययोजना के क्रियान्वयन हेतु 2-3 वर्ष की समय-सीमा का लक्ष्य रखा जायेगा।

iii. वर्तमान में संचालित योजनाओं यथा-मनरेगा, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी0एम0के0एस0वाई0), राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर0के0वी0वाई0), राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रम, बुन्देलखण्ड पैकेज, रिपेयर, रिनोवेशन एवं रेस्टोरेशन आफ वाटर बाडीज आदि के कन्वर्जेन्स द्वारा मिशन के अन्तर्गत कार्यों का सम्पादन सम्बन्धित विभागों यथा-लघु सिंचाई, उ0प्र0 जल निगम, ग्राम्य विकास, कृषि, उद्यान, सिंचाई एवं जल संसाधन, वन आदि विभागों द्वारा किया जायेगा एवं भूगर्भ जल विभाग द्वारा नोडल विभाग के साथ में सलाहकार/परामर्शी एवं समन्वयक का कार्य किया जायेगा।

iv. शहरों में आवास एवं शहरी नियोजन तथा नगर विकास विभाग के समन्वय एवं कार्यों के कन्वर्जेन्स से मिशन के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्ययोजना में चिन्हित गतिविधियों को सम्पादित किया जायेगा।

v. प्रत्येक जनपद में 100-100 चेकडैम/तालाब के निर्माण का प्रयास किया जायेगा।

कार्यों का अनुश्रवण जनपद स्तर पर ''तकनीकी समन्वय समिति'' (टी0सी0सी0) द्वारा एवम् प्रदेश स्तर पर 'विशेषज्ञ समिति' द्वारा किया जायेगा।

अतः आपसे अनुरोध है कि अपने स्तर से जनपद एवम् मण्डलीय अधिकारियों को मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आवश्यक निर्देश जारी करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मोनिका एस0 गर्ग)
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।